भारत सरकार
मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *249
18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

*** 249 श्रीमती प्रतिमा मण्डल:**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) से मछुआरों की आय दोगुनी करना तथा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य हासिल करना किस प्रकार सुनिश्चित करती है;

(ख) मछलियों की घटती संख्या तथा जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों, जिनसे तटीय तथा अंतर्देशीय मछुआरा समुदायों की आजीविका प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, से निपटने के लिए उठाए गए कदमों / बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा अवसंरचना को बढ़ाने, पशुधन मालिकों के लिए सुलभ तथा किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

*****

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उपलब्धियां के संबंध में 18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए श्रीमती प्रतिमा मण्डल, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मात्स्यिकी और जलीय कृषि के समग्र विकास के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2020-21 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए एक प्रमुख योजना - प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । मत्स्य उत्पादन और मत्स्य किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विस्तार (एक्सपेनशन), गहनता (इंटेन्सिफ़ीकेशन), विविधीकरण (डाईवरसिफिकेशन), भूमि और पानी के उत्पादक उपयोग, गुणवत्ता वाले इनपुट की आपूर्ति, प्रौद्योगिकी के सम्मिलन, पोस्ट हारवेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर, मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, ट्रेसेबिलिटी, एक मजबूत फिशरीस मेनेजमेंट फ्रेमवर्क की स्थापना और मछुआरों के कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियों को सहायता प्रदान की जा रही है। विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वर्ष (2024-25) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पीएमएमएसवाई के तहत विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को 8926.28 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 20,990.79 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं/गतिविधियों में शामिल हैं 32051 हेक्टेयर जलीय कृषि क्षेत्र, 983 हैचरियां, 25 ब्रूड बैंक और 11 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क । इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत गहन मत्स्यपालन (इंटेन्सिफ़ाईड फिशकल्चर) के लिए प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करने के उद्देश्य से सहायता प्रदान की जाती है और इस संबंध में शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं/गतिविधियों में शामिल हैं - 12081 री सरकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), 4205 बायोफ्लोक इकाइयाँ, 55118 जलाशय के केज, 1525 ओपेन सी केज, 5711 रेसवे और जलाशयों में 560.70 हेक्टेयर पेन । पीएमएमएसवाई के तहत लिए गए पोस्ट हारवेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हैं - 58 फिशिंग हारबर्स / फिश लैंडिंग सेंटर, 634 आईस प्लांट / कोल्ड स्टोरेज, 21 मॉडर्न होलसेल फिश मारकेट जिसमें 2 स्मार्ट होलसेल मारकेट्स, 202 रीटेल फिश मारकेट्स, 6694 फिश कियोस्क, मत्स्य परिवहन सुविधाओं की 27189 इकाइयाँ, 128 मूल्य वर्धित उद्यम, मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की ई-ट्रेडिंग और ई-मारकेटिंग के लिए 5 ई-प्लेटफॉर्म शामिल है ।

पीएमएमएसवाई में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल गतिविधियों (क्लाईमेट रेसीलिएन्ट एक्टिविटीस) पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इस संबंध में समुद्र तट के बहुत करीब स्थित कुल 100 मछुआरा तटीय गांवों को क्लाईमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशिरमैन विल्लेजस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के तहत सहायता दी जा रही अन्य प्रमुख जलवायु अनुकूल गतिविधियों में मुख्य रूप से ओपेन सी केज कल्चर, सी वीड कल्टीवेशन , बाइवाल्व कल्टीवेशन, आरटिफीशियल रीफ़्स की स्थापना, सी

रेंचिंग, सजावटी मत्स्य पालन, पर्ल कल्टीवेशन, मछली प्रजनन के मौसम में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध सहित संरक्षण और विनियामक उपाय, फिशिंग में विविध तरीके, मछुआरों और फिशिंग वेसेल्स के लिए सुरक्षा उपाय, बीमा, आजीविका और पोषण संबंधी सहायता शामिल हैं।

पीएमएमएसवाई ने अपने कार्यान्वयन अवधि के दौरान मात्स्यिकी और जलीय कृषि के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेष रूप से (i) वार्षिक मत्स्य उत्पादन 2019-20 में 141.64 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 184.02 लाख टन हो गया है, (ii) मत्स्य निर्यात 2019-20 में 46,662.85 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 60,524.89 करोड़ रुपये हो गया है, (iii) प्रति व्यक्ति मत्स्य की खपत 5-6 किलोग्राम से बढ़कर 12-13 किलोग्राम हो गई है और (iv) जलीय कृषि उत्पादकता 3 टन / हेक्टेयर से बढ़कर 4.7 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है।

मछुआरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पीएमएमएसवाई के तहत मछुआरों को ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेन्स कवरेज प्रदान करता है और प्रदान किए जा रहे इंश्योरेन्स में (i) आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारीरिक अक्षमता के लिए 5.00 लाख रुपए, (ii) आकस्मिक स्थायी आंशिक शारीरिक अक्षमता के लिए 2.50 लाख रुपए और (iii) आकस्मिक रूप से अस्पताल में भर्ती होने के लिए 25,000 रुपए शामिल है। पीएमएमएसवाई के तहत, 131.30 लाख मछुआरों के इंश्योरेन्स कवरेज के लिए 64.50 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि जारी की गई है, जिसमें सालाना औसतन 32.82 लाख मछुआरे कवर किए जाते है । मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने के दौरान मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 364 करोड़ रुपए के निवेश से कुल एक लाख मरीन फिशिंग वेसल्स पर दो तरफा संचार की सुविधा वाला डिवाईज़ यानि ट्रांसपोन्डर लगाए जा रहे हैं और ये डिवाईज़ पीएमएमएसवाई के अंतर्गत समुद्री मछुआरों को नि: शुल्क प्रदान किए जाते है ताकि समुद्र में आपात स्थितियों और प्रतिकूल मौसम के दौरान वे अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकें । पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान, कुल 1384.80 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रति वर्ष औसतन 5.95 लाख मछुआरों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान की गई है। संस्थागत ऋण तक पहुँच को आसान बनाने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से मछुआरों और मत्स्य किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा का विस्तार किया है ताकि उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूरी हो सके। मछुआरों और मत्स्य किसानों को अब तक कुल 4,61,246 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी ऋण राशि 2930.87 करोड़ रुपए है।

(ग) : मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने पशुपालकों के लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने, पशु चिकित्सा इनफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है और इन उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना, जिसका उद्देश्य पशुओं के रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण (प्रोफिलेक्टिक वेकसिनेशन), पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने, प्रशिक्षण, प्रचार और जागरूकता के माध्यम से पशु स्वास्थ्य के रिस्क को कम करना है ।

(ii) कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के तहत फूट एंड माउथ डीसीस (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस के लिए टीकाकरण तथा गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम/ क्रिटिकल एनिमल डीसीस कंट्रोल प्रोग्राम (सीएडीसीपी) के तहत पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ) के लिए टीकाकरण हेतु राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एफएमडी, ब्रुसेलोसिस, पीपीआर और सीएसएफ के लिए अतिसंवेदनशील पशुओं को क्रमशः 109.55 करोड़ , 4.57 करोड़, 25.15 करोड़ और 0.70 करोड़ टीके लगाए गए हैं।

(iii) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एलएचडीसीपी के पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि राज्य द्वारा प्राथमिकता दिए गए विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों जैसे लम्पी स्किन डिजीज, अफ्रीकी स्वाइन फीवर और एवियन इन्फ्लूएनसा पर नियंत्रण किया जा सके।

(iv) संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवश्यक टीकाकरण और ईयर टैग के लिए एफएमडी, ब्रुसेल्ला , पीपीआर और सीएसएफ वैक्सीन की खरीद और आपूर्ति केंद्रीय रूप से की जाती है ।

(v) टीकाकरण के लिए सहायक उपकरणों की खरीद, कोल्ड चेन अवसंरचना को मजबूत करने और हितधारकों में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता।

(vi) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फुट एंड माउथ डिससीस (एनआईएफएमडी)-भुवनेश्वर, आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई)-बरेली, आईसीएआर-आईवीआरआई-बेंगलुरु, आईसीएआर-राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान (एनआईवीईडीआई)-बेंगलुरु, क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान- बागपत जैसी प्रयोगशालाओं को टीकों की गुणवत्ता परीक्षण, सीरो -मॉनिटरिंग, सीरो –सरवेलेन्स, संदिग्ध मामलों की पुष्टि, प्रयोगशाला कर्मियों के प्रशिक्षण और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । तदनुसार, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के अंतर्गत आने वाली बीमारियों पर नियमित सीरो –सरवेलेन्स की जा रही है।

(vii) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के तहत, रोग निदान किट/टीकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य जैविक उत्पादन इकाइयों (बीपीयू) को सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, अनुसंधान एवं नवाचार, प्रचार एवं जागरूकता प्रशिक्षण और संबद्ध गतिविधियों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(viii) एलएचडीसीपी योजना के तहत पशु चिकित्सकों और अर्ध-पशु चिकित्सकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए "कंटीनुइंग वेटेरेनेरी एजुकेशन (सीवीई)" सहित नैदानिक इनफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और मजबूती के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ix) पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत - मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (ईएसवीएचडी-एमवीयू), एलएचडीसीपी योजना के अंतर्गत किसानों के दरवाजे पर निदान, उपचार प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के संचालन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में, देश भर में 28 राज्यों में 4016 एमवीयू संचालन में हैं ।

(x) "महामारी की तैयारी और उचित रेस्पोंस के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाना" पर महामारी निधि परियोजना के तहत क्षमता निर्माण, इनफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।

(xi) रोग प्रकोप के दौरान नियंत्रण उपाय करने के लिए प्रभावित क्षेत्र की पहचान और अधिसूचना, प्रभावित पशुओं को अलग करना और जैव सुरक्षा उपायों को लागू करना, पशुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना आदि के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) का निर्माण और परिचालन ।

(xii) पशु रोगों के प्रकोप के प्रबंधन और रेस्पोंस के लिए, त्वरित नियंत्रण और शमन सुनिश्चित करने के लिए पशुधन रोगों के लिए क्राईसीस मेनेजमेंट प्लान (सीएमपी) विकसित की गई है ।

(xiii) 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण को बढ़ाने के लिए पशु चिकित्सा देखभाल में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए विभाग द्वारा तैयार किए गए मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशानिर्देश/स्टैंडर्ड वेटरीनेरी ट्रीटमेंट गाईडलाईन्स (एसवीटीजी)।

(xiv) नेशनल डिजिटल लाईवस्टॉक मिशन (एनडीएलएम) ने पशुओं के पंजीकरण के लिए ईयर-टैग और टीकाकरण का उपयोग करके एक अद्वितीय 12 अंकों के टैग का उपयोग करके "भारत पशुधन " नाम से डेटाबेस विकसित किया है।

*****